



UPCH040010332019

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम, चित्रकूट ।

सीनू देवी बनाम शिवम आदि

मुकदमा सं०-99/2019

धारा - 12(1) DV Act

थाना-राजापुर, जिला -चित्रकूट।

05.02.2025

पत्रावली पेश हुई। बार-बार पुकार के बावजूद परिवादिया अनुपस्थित। पूर्व तिथि में परिवादिया को दिनांक -06.07.2022 उपस्थित होने का अंतिम अवसर भी दिया जा चुका है। विगत तिथियों पर अंतिम अवसर दिये जाने के उपरांत भी परिवादिया की ओर से न ही कोई उपस्थित है और न कोई स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। परिवादिया की अनुपस्थिति से यह दर्शित हो रहा है कि वह अपना वाद चलाने में इच्छुक नहीं है। अतः परिवादिया की अनुपस्थिति में परिवाद खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादिया की अनुपस्थिति में परिवाद खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(अंजलिका प्रियदर्शिनी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम

चित्रकूट।

J.O.CODE - UP 3752